"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त 2006—श्रावण 10, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2006 (श्रावण 10, 1928)

क्रमांक-9473/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006), जो दिनांक 1 अगस्त, 2006 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 11 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2006

उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील करने का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील.

2. (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसी उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली खण्ड न्यायपीठ को होगी.

परन्तु किसी अन्तवर्ती आदेश के विरुद्ध या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश को तारीख से 45 दिन के भीतर फाइल की जाएगी :

परन्तु कोई भी अपील 45 दिन के विहित काल के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि याचिकाकर्ता खण्ड न्यायपीठ का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था.

स्पष्टीकरण :— यह तथ्य कि याचिकाकर्ता विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा.

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उच्च न्यायालय द्वारा यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार फाइल की जाएगी, सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी.

नियम बनाने की शक्ति.

3. (1) उच्च न्यायालय, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों का क्रियान्वयन करने के लिए समय-समय पर नियम बना सकेगा.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन अपील फाइल करने, उसकी सुनवाई करने और उसका निपटारा करने की प्रक्रिया का उपबंध किया जा सकेगा.

4. (1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1981 (क्रमांक 29 सन् 1981) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में की गई कोई बात या की गई कार्यवाई जो अंतिम रूप से की जा चुकी है, किसी भी न्यायालय में पुन. खोली नहीं जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 से अधीन आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेण्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1981 (क्रमांक 29 सन् 1981) के परिणामस्वरूप उसी उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली खण्ड न्यायपीठ को अपील फाईल करने का विधि का कोई उपबंध नहीं है.

2. खण्ड न्यायपीठ को अपील न होने से आम मुकदमेबाज और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी कठिनाई होती है, क्योंकि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश या निर्णय के विरुद्ध सीधे ही उच्चतम न्यायालय को अपील फाईल करने में अत्याधिक व्यय और समय लगता है.

3. अतएव यह प्रस्तावित है कि आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिये गये किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील करने का उपबंध किया जाए.

4. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख - 19-7-2006

बृजमोहन अग्रवाल
विधि और विधायी कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2006 के खण्ड 3 के उपखण्ड 1 में नियम बनाने का प्रावधान है. यह प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधान को प्रभावशील करने के लिए है. माननीय उच्च न्यायालय प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत अपील प्रस्तुति के लिए क्या-क्या प्रक्रिया उच्च न्यायालय के लिए होगी, इस बात पर नियम बना सकेंगे. नियम औपचारिक प्रकृति का है, अपवाद स्वरूप का नहीं है.

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.